



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27, 1937

No. 799]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

### सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

**का.आ. 1032(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, कथित सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, कथित सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई के रारा खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:—

### सारणी

नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	किमी में लंबाई
(1)	(3)	
“123	सिपाउ-घटौली खंड (उत्तर प्रदेश राज्य में)	किमी 41.000 से किमी 56.000”

[फा. सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2015

**S.O. 1032(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

**TABLE**

New National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
“123	Sepau-Ghatoli section (In the State of Uttar Pradesh)	From Km.41.000 to Km.56.000.”

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)